फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

हरिमोहन बनाम पृथ्वीराज वगै0

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 05/24

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03.04.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि में वादी खातेदार काश्तकार है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 जबरन निर्माण करने पर आमादा है। यदि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि में खातेदार है एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में ही साबित होता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम गैरोटा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1147, 19, 672, 673, 674, 765, 924, 955 में मूल वाद के निर्णय तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें एवं किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	